पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–11 / 2017 / 1.D.(3-7)...Y पं०रा०
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी
(जमुई, किशनगंज, नालन्दा एवं सीवान को छोड़कर),
बिहार।

पटना, दिनांक 22.04.2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 15.04.2020 द्वारा स्वीकृत कुल ₹27,84,000.00 (सत्ताईस लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 15.04.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध / संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / कार्यपालक सहायक के पारिश्रमिक / मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹27,84,000.00 (सत्ताईस लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में **कुल ₹27,84,000.00 (सत्ताईस लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

क्र०	**DPRO के कार्यालय का नाम**	**आवंटित राशि**
1	2	3
1	Araria	76000.00
2	Arwal	76000.00
3	Aurangabad	76000.00
4	Banka	76000.00
5	Begusarai	76000.00
6	Bhagalpur	76000.00
7	Bhojpur	76000.00
8	Buxar	76000.00
9	Darbhanga	76000.00
10	E.Champaran	76000.00
11	Gaya	76000.00
12	Gopalganj	76000.00
13	Jehanabad	76000.00
14	Kaimur	76000.00
15	Katihar	76000.00
16	Khagaria	76000.00
17	Lakhisarai	76000.00

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\16-2515000010102\Letter.docx

लगातार---

18	Madhepura	76000.00
19	Madhubani	76000.00
20	Munger	76000.00
21	Muzaffarpur	76000.00
22	Nawada	76000.00
23	Patna	76000.00
24	Purnea	76000.00
25	Rohtas	146000.00
26	Saharsa	76000.00
27	Samastipur	76000.00
28	Saran	76000.00
29	Sheikhpura	76000.00
30	Sheohar	76000.00
31	Sitamarhi	206000.00
32	Supaul	76000.00
33	Vaishali	76000.00
34	W.Champaran	76000.00
Total :-		**2784000.00**
कुलः सत्ताईस लाख चौरासी हजार रूपये मात्र		

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होगें, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

3. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2020–21** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत "**मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की स्थापना**" मद के विषय शीर्ष '**0102.28.02–संविदा सेवाएँ**' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–2515000010102** है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017 के पृष्ठ संख्या 56/टि० पर दिनांक 17.04.2020 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः– यथा उपर्युक्त।

(ह०) 22/04/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/1037 (3119)/पं०रा० पटना, दिनांक 22.04.2020
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 22/04/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–11/2017/1037 (3118)/पं०रा० पटना, दिनांक 22.04.2020
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ह०) 22/04/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\16-2515000010102\Letter.docx